













## शर्तें

बैंक ऑफ बाहरिन एड कुवेत बी एस सी मे आपका हार्दिक स्वागत है

आप जैसे सम्माननीय ग्राहक हमारी शान हैं। आवश्यक दस्तावेज और जानकारी देकर हमारे पास खाता खोलने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में आपसे मिले पूरे सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आपके हितों की रक्षा करने और 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवायसी) दिशानिर्देशों के विमियामक पालन की पूर्ति करने के लिए आपसे यह जानकारी हासिल की जा रही है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

कृपया सुलभ सदर्थ के लिए जमा सबधी हमारे निम्नालिखित नियम देखें

### चालू खाता

- 1 चालू खाते में 1,000 रु और चालू खाते में 10,000 रु न्यूनतम शेषराशि आवश्यक है। खाते में न्यूनतम राशि न होने पर निर्धारित प्रभार लगाये जाएंगे।
- 2 केवल खाताधारकों के नाम (नामों) पर आहरित चेक/डिविडेंड वारंट खाते के जरिए वसूल किये जाएंगे। ग्राहक अपने ही हित में ऐसे चेक/बैंक में जमा करने के पहले रेखांकित करें।
- 3 चेक बुक, नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम कार्ड और पिन ग्राहक के जोखिम और परिणाम स्वीकार करने पर कूरियर/डाक द्वारा भेजे जाएंगे। इनके प्रेषण के संबंध में किसी बात के लिए बैंक किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। यदि उक्त सामग्री पर्याप्त समय अर्थात् अनुरोध करने की बाद पंद्रह दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती तो ग्राहक की यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना संबंधित शाखा प्रबंधक को दे।
- 4 यदि खाता खोलने के बाद वह छह महीने के भीतर बद किया जाता है तो बैंक के नियमानुसार प्रासंगिक शुल्क काट किया जाएगा।
- 5 खातों में 50,000 और उससे अधिक की राशि जमा करते समय पीएन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 6 बाद वाली किसी असुविधा को टालने की दृष्टि से ग्राहक को चाहिए कि वह छह महीने में कम से कम एक बार अपना खाता परिचालित करें। जो खाते लंबी अवधि के लिए परिचालित नहीं किए जाते उन्हें जमाकर्ता तथा बैंक दोनों की हित में निष्क्रिय खाते की श्रेणी में रखा जाएगा। निष्क्रिय/अपरिचालित खाते के लिए बैंक की ओर से यदि कोई प्रभार लगाये जाते हैं तो उसकी सूचना जमाकर्ता को दी जाएगी। जमाकर्ता संबंधित खाते को परिचालन हेतु सक्रिय बनाने के लिए बैंक से अनुरोध कर सकता है।
- 7 खाते में जमा शेष की राशि के बराबर की राशि के अथवा उससे अधिक राशियों के आहरण को अस्वीकार किया जाएगा। निधियों के अभाव में चेक अस्वीकार होने की स्थिति में प्रत्येक अस्वीकृति के लिए जमाकर्ता से बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रभार वसूल किये जाएंगे।
- 8 ग्राहक को चाहिए कि वह निधियों की पर्याप्त व्यवस्था के बगैर चेक जारी करना टाले। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत नक्करे गए चेक के लिए कानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है और बार बार चेक लौटाये जाने पर नया चेक बुक जारी न करने और/या खाते को बद कर देने जैसी कार्यवाई भी बैंक कर सकता है।
- 9 चेक इस प्रकार जारी किए जाने चाहिए कि उसे जारी किए जाने के बाद उसमें कोई अनधिकृत परिवर्तन/परिवर्धन न किया जा सके। चेक पर राशि अक्षरों और आंकड़ों दोनों में लिखती होगी। लिखावट सुस्पष्ट और पठनीय हो। चेक लेखन में यदि कोई परिवर्तन/हो तो आहरणकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से वे अधिप्रमाणित होने चाहिए अन्यथा चेक/आहरण सूचना की अदायगी नहीं की जाएगी।
- 10 ग्राहक के पक्ष में पृष्ठांकित अन्य पक्ष के खाते की वसूली/खाते में जमा के लिए नहीं स्वीकारे जाएंगे।
- 11 यदि वसूल न किए प्रभारों के कारण संबंधित खाता 3 माह या उससे अधिक अवधि के लिए अतिआहरित रहता है तो खाते को बद किया जाएगा और उसकी अग्रिम सूचना देने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 जब भी कभी खाता बद किया जाता है, तो खाताधारक की यह जिम्मेदारी है कि उपयोग में न लाये गये चेक अभ्यर्पित करें। ऐसे लिखत खो जाने के कारण ग्राहक को यदि कोई हानि उठानी पड़ती है तो बैंक उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 13 किसी भी कारण से उत्पन्न आपको देय किसी ओवरड्राफ्ट अथवा ऋण के उत्तरदायी होने से हम सहमत हैं और इस प्रकार हमसे देय किसी राशि की ब्याज सहित चुकौती करने से हम सहमत हैं।

### सावधि जमा राशियाँ

- 1 सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज का अन्य बैंक के खाते में विप्रेक्षण करने के लिए बैंक के नियमानुसार सेवा प्रभार लिये जाएंगे।
- 2 सावधि जमा राशियों पर सामान्य ऋण/ओवरड्राफ्ट अनुमत है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के आधार पर ऐसे ऋणों पर बैंक द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित दरों पर ब्याज लिया जाएगा।
- 3 जमा राशि पर बैंक का सर्वोपरि ग्रहणाधिकार है और बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी रूप में बैंक के प्रति जमाकर्ता के किसी वित्तीय दायित्व के लिए ऐसी राशियों का विनियोजन किया जाएगा।
- 4 यदि परिपक्वता की तारीख के बाद 15 दिन के भीतर जमा राशि का नवीकरण किया जाता है तो अतिदेय सावधि जमा राशि पर ब्याज अदा किया जाएगा।
- 5 परिपक्वता मूल्य/आंशिक आहरण कराधान विधियों की उपबन्ध के अधीन होगा और आगे का ब्याज टीडीएस की कटौती के बाद निवल राशि पर अदा किया जाएगा।
- 6 जमाकर्ता, अधिमानत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर की कटौती के बगैर जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करने की लिए फॉर्म स 15 एच/15 जी में घोषणापत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7 ग्राहक के अनुरोध पर, जमा की गई राशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए बैंक उत्तर देय ब्याज सहित, अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में ब्याज की अदायगी बैंक के पास जिस अवधि के लिए जमा राशि रखी गई थी उस अवधि के लिए लागू उचित दर अथवा सविदागत दर, इसमें से जो भी कम हो, पर की जाएगी। 30 दिन से कम अवधि के लिए बैंक के पास रही जमा राशि के अवधिपूर्व आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 8 जमा राशि के अवधिपूर्व आहरणों पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।
- 9 यदि नियत तारीख को कोई अनुदेश प्राप्त नहीं होते तो मूल जमा राशि की अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर पर जमा राशियों को रोल ओवर किया किया जाएगा।
- 10 ग्राहक अवधि में जमा खाते में सहमत राशि को हर माह की निर्धारित नियत तारीख को या उसके पहले जमा करेंगे।
- 11 यदि खाता धारक किसी जमा नहीं करते तो प्रचलित नियमों के तहत, साफ्टपी के अनुसार बैंक उससे दंडात्मक प्रभार वसूल करेगा।
- 12 सावधि जमा के अंतर्गत आपकी खाते पर आहरित चेक जमा खाते से आवश्यक राशि का आहरण कर स्वीकार किए जाएंगे।
- 13 फ्लेक्सी डिपॉजिट में शेष राशि पर मूल ब्याज मिलना जारी रहेगा।

### सामान्य

- 1 बैंक से आशय है बैंक ऑफ बाहरिन एड कुवेत बी एस सी भारतीय परिचालन।
- 2 पते में हुए परिवर्तन की सूचना बैंक को लिखित रूप में पते के सबूत के साथ तत्काल दी जानी चाहिए।
- 3 बैंक के मतानुसार यदि खाते का परिचालन असतोषजनक पाया जाता है तो वह खाता बद किया जाएगा और सेवा प्रभार काट लिया जाएगा।
- 4 इन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन के जाने पर संबंधित खाता बद किया जाएगा और सेवा प्रभार काट किया जाएगा।
- 5 किसी भी समय इन शर्तों में परिवर्तन करने अथवा नई शर्तें जोड़ने का अधिकार बैंक के पास है।
- 6 इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित शर्तें अलग से उपलब्ध हैं।
- 7 विस्तृत शर्तें हमारी वेबसाइट [www.bbkindia.com](http://www.bbkindia.com) पर उपलब्ध हैं। खाता खोलने के पहले कृपया वे पढ़ लें।

12. लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला बोर्ड के संकल्प का ड्राफ्ट  
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर)

..... के निदेशक मंडल की दि. .... माह ..... 20 ..... को ..... में  
विधिवत आयोजित बैठक, जिसमें उचित कोरम उपस्थित था, के कार्यवृत्त के उद्धरण की प्रमाणित प्रतिलिपि।

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि ..... (कंपनी का नाम) के निदेशक मंडल का संकल्प निम्नानुसार है:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी का बैंकिंग खाता बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत, बी.एस.सी. .... शाखा ..... शहर में  
खोला जाए और यह कि उक्त बैंक ..... (खाता परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की संख्या  
और उनके नाम लिखें) द्वारा कंपनी की ओर से आहरित, स्वीकृत अथवा बनाये गये चेकों; विनिमय बिलों और प्रोमसरी नोटों को स्वीकार करने तथा  
उक्त खाते, चाहे वे अतिआहरित हो अथवा न हो, के संबंध में या कंपनी के लेनदेन के संबंध में दिए गए अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है  
और एतद्वारा बैंक को प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जात है कि कंपनी आवेदन प्रपत्र (खाता खोलने का फॉर्म) में लिहित शर्तें और/अथवा अन्य माध्यमों, जैसे-फोन एवं इंटरनेट  
बैंकिंग के जरिए बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के संबंध में बैंक की ओर से अधिसूचित की जानेवाली अन्य शर्तें स्वीकार करती  
है।”

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

दिनांक .....

प्रबंध निदेशक/ सचिव